बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: **संकल्प** ::

पटना–15 दिनांक 08-03-19

श्री राजेश कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–473/11 को उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पदस्थापन काल में ऑडिटर एवं कनीय अभियंता की परीक्षा में षड्यंत्र पूर्वक चिन्हित अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर ओ०एम०आर०सीट में छेड़–छाड़ करने संबंधी आरोपों पर आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा दर्ज कांड सं०–23/12, दिनांक 20.10.2012 में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। उक्त कांड के क्रम में विधि विभाग के आदेश सं०–67 दिनांक 22.04.2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गयी। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 04.03.2016) प्राप्त हुआ। सम्यक् विचारोपरांत मामले के वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी तथा संकल्प ज्ञापांक–7715 दिनांक 31.05.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. कालान्तर में संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित बहुधा आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक–2625 दिनांक 23.02.2018 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। इस क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण में उन्होंने प्रमाणित आरोपों के बचाव में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। उन्होने यह उल्लेख किया कि विभागीय कार्यवाही की सुनवाई में उन्हें आरोपों के बचाव हेतु याचित कागजात/दस्तावेज विभाग एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि विभागीय पत्रांक 11458 दिनांक 24.08.2016 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर संचालन पदाधिकारी को विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार द्वारा आरोपों के बचाव हेतु याचित सूचना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक 1603/आ0 दिनांक 21.07.2017 द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया गया। इसके साथ संचालन पदाधिकारी/विभागीय स्तर पर श्री कुमार द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निगरानी/बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्तर से प्राप्त सूचना/अभिलेख उन्हें क्रमशः पत्रांक–7720 दिनांक 23.06.2017 , ज्ञापांक12169 दिनांक 19.09.2017 एवं पत्रांक 15476 दिनांक 05.12.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार सूचना/अभिलेख प्राप्त नहीं होने संबंधी श्री कुमार का कथन सत्य से परे है।

वस्तुतः आरोपित पदाधिकारी अंकेक्षक तथा कनीय अभियंता की परीक्षा से संबंधित आयोग के स्ट्राँग रूम के प्रभार में थे, जिसमें परीक्षा की कॉपियाँ रखी गयी थी। उनका कार्यालय कक्ष स्ट्राँग रूम के बिल्कुल नजदीक था। उन्हें स्ट्राँग रूम के पेपर सील का नियमित निरीक्षण करना था, जो उन्होंने नहीं किया और पेपर सील पर उनके द्वारा पूर्व में किये गये हस्ताक्षर से भिन्न हस्ताक्षर होने (अर्थात् पेपर सील के साथ छेड़–छाड़ और कूटकरण होने) की सूचना उनके द्वारा आयोग के अध्यक्ष को नहीं दी गयी। उक्त कांड के अनुसंधान में पाया गया कि एक संगठित गिरोह के द्वारा देर रात्रि में स्ट्राँग रूम में रखी गयी उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़–छाड़ कर कतिपय अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुचाने का प्रयास किया गया। इस कांड में उनकी संलिप्तता के कारण ही उन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया तथा कालान्तर में अभियोजन की स्वीकृति भी दी गयी। इस प्रकार श्री कुमार का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा अत्यंत गंभीर प्रकृति के उक्त प्रमाणित आरोपों में उनकी संलिप्तता सिद्ध हुई। विदित हो कि पूर्व में भी आरोपित पदाधिकारी का सेवा इतिहास अच्छा नहीं रहा है और उनके पूर्व पदस्थापन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चकिया (पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) के पद पर बरती गयी वित्तीय अनियमितता के लिए तीन (03) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया गया है।

3. तत्पश्चात उक्त आरोपों की प्रमाणिकता के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध '**अनिवार्य सेवानिवृति**' का दंड विनिश्चित किया गया। विभागीय पत्रांक–8656 दिनांक 29.06.2018 द्वारा उक्त विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की माँग की गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्णपीठ द्वारा सहमति प्रदान की गयी, जो बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2074 दिनांक 02.11.2018 द्वारा प्राप्त हुआ।

4. बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्ति के उपरांत श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–473/2011, तत्कालीन उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग) के अनिवार्य सेवानिवृति संबंधी संलेख/प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–3182 दिनांक 07.03.2019 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजा गया। राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.03.2019 को सम्पन्न बैठक में मद सं०–02 के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त दंड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

5. उपुर्यक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14(ix) के प्रावधानों के तहत श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–473/2011, तत्कालीन उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को '**अनिवार्य सेवानिवृति**' का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8.3.19

(राम बिशुन राय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08/अभि०–03–26/2014,सा०प्र० 3248 **/पटना, दिनांक** 08-03-19

प्रतिलिपि– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई–1, डा० कृष्ण सिंह पथ पटना/श्री राजेश कुमार, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक–473/11) विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12,14/चारित्री कोषांग एवं आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.3.19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08/अभि०–03–26/2014,सा०प्र० 3248 **/पटना–15, दिनांक** 08-03-19

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

8.3.19

सरकार के अवर सचिव।